लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 066/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/204)	दायर दिनांक 12-09-2024	निर्णय दिनांक 09-10-2024

अनवान

श्याम सुन्दर वैष्णव निवासी 45 रिद्धी–सिद्धी नगर, महाराणा प्रताप सेतुमार्ग तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9460003965)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.07.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./066/2024(सू.अ.)(09.10.2024)565 दिनांक 12.09.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 09.10.2024 अपील अपीलार्थी अनुस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/199 दिनांक 07.10.2024 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर वैष्णव निवासी 45 रिद्धी–सिद्धी नगर, महाराणा प्रताप सेतुमार्ग तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9460003965) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 03 से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग एवं बिन्दु संख्या 01, 06, 07 एवं 08 से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024 दिनांक 29.08.2024 से प्राप्त कर प्रार्थी को निःशुल्क भिजवाई जा चुकी है। (प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 04 से वांछित सूचना सहायक लो सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर एवं बिन्दु संख्या 05 से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(03) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/244 दिनांक 29.08.2024 से अंतरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
4. यह कि बिन्दु संख्या 02 से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को स्पष्ट विवरण हेतु लिखा गया है जिस पर आदिनांक स्पष्ट विवरण अप्राप्त है जिस कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।
5. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र वांछित सचूना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, जिससे प्रकरण में अपील निस्तारण योग्य है।
6. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की औरं से प्रस्तुत लिखित अभिवचन का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया। संदर्भित पत्रों के अवलोकन से जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2024 लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 02.07.2024 को प्राप्त हुआ जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/244 दिनांक 05.07.2024 से आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 03 से वांछित सूचना हेतु प्रभारी अधिकारी संस्थापन जिला कार्यालय, बिन्दु संख्या 01, 06, 07 व 08 से वांछित सूचना हेतु प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग जिला कार्यालय, बिन्दु संख्या 04 व 05 के संबंध में तहसीलदार भदेसर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को अधिनियम 2005 की धारा 6(03) के तहत अंतरित किया गया एवं बिन्दु संख्या 02 के संबंध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराये जाने प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचित किया गया है। इसी क्रम में प्रभारी अधिकारी संस्थापन जिला कार्यालय द्वारा पत्रांक/स्था./प.4–1( )लोसूअ/2024/1032 दिनांक 12.07.2024 व प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग जिला कार्यालय के पत्रांक/भू–अभि/स्था./आरटीआई/2024/768 दिनांक 28.08.2024 से संबंधित बिन्दुओं की सूचना लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की गई। उक्त प्राप्त सूचनाओं को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/244 दिनांक 29.08.2024 से प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी हैं, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के विनिश्चय से सहमत हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2024 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता हैं, अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 02.07.2024 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official